

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/मुखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी दायित्वपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड्डी केवल आवासीय प्रोजेक्ट

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 832 दिनांक 01/02/2021

प्रार्थी श्रीमती सुकुलिया पुरोहित श्री/श्री रजिन्द्र हर्ष

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No-17/320 श्री/श्री रजिन्द्र हर्ष

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में परा

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 0391/-

जरिये रसीद संख्या 2069/1410, 1420

दिनांक 01/02/2021 को जमा करा दी है ।

पंकज कुमार

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Recevd
[Signature]

702110900